लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1160

24 जुलाई, 2017 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम में अनियमितताएं

1160. श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरियाः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) में निविदा देने में अनियमितताओं का पता चला है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एनएमडीसी द्वारा निविदाएं देने में कथित अनियमितताओं के संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन अनियमितताओं के विरुद्ध कार्रवाई की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा एनएमडीसी द्वारा निविदाएं देने में पारदर्शिता लाने तथा भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए प्रस्तावित कार्रवाइयों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **श्री विष्णु देव साय**

(क) से (ग): नागरनार आयरन एंड स्टील प्लांट (एनआईएसपी), नागरनार में इंटर प्लांट पाईप लाईन और गैस मिक्सिंग एंड बूस्टिंग स्टेशन के लिए एनएमडीसी द्वारा निविदा प्रदान करने में अनियमितताओं के संबंध में दो संदर्भ मंत्रालय में प्राप्त हुए हैं। इस मामले में एनएमडीसी लिमिटेड के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) और केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के साथ परामर्श करके आगे जाँच की जा रही है।

(घ): निविदाएं प्रदान करने में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एनएमडीसी सामान्य रूप से निविदाओं को अपने वेबसाइट और सेंट्रल प्रक्योरमेंट पोर्टल (सीपी पोर्टल) में प्रविष्टि करके तथा प्रमुख समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार करके ई-प्रक्योरमेंट तरीके में वैश्विक/खुली निविदाओं के रूप में प्रदान करती है। एनएमडीसी ने संविदा मेनुअल को अनुमोदन प्रदान किया है जिसमें पारदर्शिता लाने और प्रक्रिया में अनियमितताओं से बचने के लिए मानक पद्धतियाँ और दिशा-निर्देश निहित हैं। एनएमडीसी ने ट्रांसपेरेन्सी इंटरनेश्नल के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है और 20 करोड़ से अधिक मूल्य वाले सभी ठेकों में इंटीग्रिटी पैक्ट (आईपी) लागू किया है। एनएमडीसी ने “एजेंसियों के साथ व्यापारिक सौदों पर प्रतिबंध” की नीति अपनाई है।

*****